



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2003/माघ 8, 1924

No. 81 ]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2003/MAGHA 8, 1924

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2003

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2003

का.आ. 100(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने वाले नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किस्मों के और उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, बीजों की उक्त किस्मों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, संपूर्ण भारत में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किस्मों या जैसा केन्द्रीय सरकार अन्यथा अधिसूचित करे, घोषित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	किस्म	प्रकार
1	2	3
1.	के.बी.एस.एच.-44	सूरजमुखी
2.	अनुभव (आर.एस.जी.-88)	चना

[फा. सं. 17-22/2001-बीज-4]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

Table

S.No.	Variety	Kind
1	2	3
1.	KBSH-44	Sunflower ✓
2.	Anubhav (RSG-88)	Gram ✓

[F.No. 17-22/2001-SD. IV]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

255 GI/2003